

समाहरणालय, मधेपुरा
(आपूर्ति शाखा)

पत्रांक...३.६.४/आ०

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा

सेवा में,

श्री सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार पटना।

मधेपुरा, दिनांक ...०५-०५-१६

विषय:- सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना आधारित SECC संबंधी डाटा उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना का पत्रांक 1316 दिनांक 23.02.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि SECC डाटा के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्ड से संबंधित त्रुटियों का निराकरण कर सही लाभको की पहचान कर राशन कार्ड उपलब्ध कराने एवं आधार सीडिंग संबंधी कार्यवाई प्रारंभ की गई है।

प्रासंगिक पत्र से प्राप्त निदेश के आलोक में डाटा संग्रहण के दौरान जिला सूचना बिज्ञान पदाधिकारी,(D.I.O.) मधेपुरा द्वारा बताया गया कि Final SECC डाटा में से Rural area का डाटा import नहीं हो पा रहा है।

तत्संबंधी डाटा विभाग से प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 245 दिनांक 17.03.2016 द्वारा श्री नरेश जयसवाल, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिंहेश्वर-सह-सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को प्राधिकृत किया गया था। जिसके आलोक में दिनांक 19.3.2016 को विभाग से उपलब्ध कराये गये डाटा के संबंध में जिला सूचना बिज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र का डाटा मात्र 472223 import हो रहा है, जबकि पूर्व में ग्रामीण क्षेत्र की डाटा 1746487 था। पुनः तत्संबंधी डाटा विभाग से प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 262 दिनांक 28.03.2016 द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सिंहेश्वर-सह-सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को प्राधिकृत किया गया था। परन्तु ग्रामीण डाटा विभाग से उपलब्ध नहीं हो पाया है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में राशन कार्ड के सत्यापन का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित है।

अतः वर्णित परिपेक्ष्य में भवदीय से अनुरोध है कि तत्संबंधी डाटा उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

जिलाधिकारी,
मधेपुरा

समाहरणालय, मधेपुरा
(आपूर्ति शाखा)

पत्रांक...../आ०

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा

सेवा में,

SM सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार पटना।

मधेपुरा, दिनांक

विषय:- सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना आधारित SECC संबंधी डाटा उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना का पत्रांक 1316
दिनांक 23.02.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि SECC डाटा के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्ड से संबंधित त्रुटियों का निराकरण कर सही लाभूको की पहचान कर राशन कार्ड उपलब्ध कराने एवं आधार सीडिंग संबंधी कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

प्रासंगिक पत्र से प्राप्त निदेश के आलोक में डाटा संग्रहण के दौरान जिला सूचना बिज्ञान पदाधिकारी,(D.I.O.) मधेपुरा द्वारा बताया गया कि Final SECC डाटा में से Rural area का डाटा import नहीं हो पा रहा है।

तत्संबंधी डाटा विभाग से प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 245 दिनांक 17.03.2016 द्वारा श्री नरेश जयसवाल, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिंहेश्वर-सह-सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी मधेपुरा को प्राधिकृत किया गया था। जिसके आलोक में दिनांक 19.3.2016 को विभाग से उपलब्ध कराये गये डाटा के संबंध में जिला सूचना बिज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र का डाटा मात्र 472223 import हो रहा है, जबकि पूर्व में ग्रामीण क्षेत्र की डाटा 1746487 था। पुनः तत्संबंधी डाटा विभाग से प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 262 दिनांक 28.03.2016 द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सिंहेश्वर-सह-सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को प्राधिकृत किया गया था। परन्तु ग्रामीण डाटा विभाग से उपलब्ध नहीं हो पाया है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में राशन कार्ड के सत्यापन का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित है।

अतः वर्णित परिपेक्ष्य में भवदीय से अनुरोध है कि तत्संबंधी डाटा उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

Bof

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापक.....368...../आ० मधेपुरा, दिनांक...05...05-16

प्रतिलिपि:- जिला सूचना बिज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

Bof
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।